307

सं0– / 2016–।।–04(08)/2016

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक, 15 मार्च, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में डी0पी0आर0 मद के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओ के डी0पी0आर0 निर्माण एंव सर्वेक्षण कार्यो हेतु गठित प्राक्कलन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 547/मुअवि/बजट/बी0–1 सामान्य दिनांक 11 फरवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड ''बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण'' के अन्तर्गत उत्तरकाशी एवं हरिद्वार भागीरथी एंव गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्र के अध्ययन हेतु राज्य सैक्टर की डी0पी0आर0 निर्माण एंव सर्वेक्षण मद में गठित प्राक्कल विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत कुलरू0 19.86 लाख की (रू0 उन्नीस लाख छियासी करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 8.92 लाख (रू0 आठ लाख बयानबे हजार मात्र) की धनराशि टोकन मनी के रूप में निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2008 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v) कार्यो के पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाल में अवश्य करा लिा जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2016 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

...2..

(ix) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(x) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01.04.2015 एवं 1336/XXVII(1)/2015, दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

(xi) विषयगत आगणन का पुनः किसी भी दशा में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत डी0पी0आर0निर्माण मद के लेखाशीर्षक 2700–मुख्य सिंचाई–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–09–डी0पी0आर0निर्माण–00–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 1183/XXVII(2)/2016, दिनांक 08 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द वर्द्धन)
सचिव।

संं0– 477/सा0 /2016–।।–04(08)/2016तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3- निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4- वित्त अनु–2,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5- जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।/कोषाधिकारी हरिद्वार।
7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8- निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
9- बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।